ऑन लाईन नं.RCMS2023/230

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 81/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास। विक्रेता एवं मालिक
मैं0 शिवशंकर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51&52

निर्णय दिनांक : 15.09.2009

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संशोधित आदेश कमांकः–आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/ 2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.02.2022 को दोपहर बाद 01.00 पी.एम. को मैं0 शिवशंकर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता एवं मालिक चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 300–300 मिली की 20 पैक बोतल **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड) 300–300** मिली के 4 पैंक बोतल विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 400/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** 300–300 मिली की चारों मूल पेक डिब्बे पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1373** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1373** नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :L.S./258/Act/2022/258 Dated 25-02-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1373 Misbranded Food & Sub-standard food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल **मै0** शिवशंकर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण प्रेषित है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी के प्रतिष्ठान से जो कुकिंग ऑयल के सैम्पल लिये गये है वह कुकिंग ऑयल अविनाश ब्राण्ड कम्पनी का है। प्रार्थी द्वारा यह कुकिंग ऑयल ना तो तैयार किया गया व ना ही ब्राण्ड पेटेंट करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त धाराओं का उल्लधंन नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण का नरमी का रूख अपनाते हुए साधारण जुर्माना शास्ति लगाते हुए पत्रावली दाखिल दफतर फरमानें की कृप्या करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कुकिंग ऑयल (अविनाश ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1373** जांच रिपोर्ट क्रमांक : L.S./258/Act/2022/258 Dated 25-02-2022 द्वारा **Misbranded Food & Sub-standard food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अनवान प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण प्रेषित है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी के प्रतिष्ठान से जो कुकिंग ऑयल के सैम्पल लिये गये है वह कुकिंग ऑयल अविनाश ब्राण्ड कम्पनी का है। प्रार्थी द्वारा यह कुकिंग ऑयल ना तो तैयार किया गया व ना ही ब्राण्ड पेटेंट करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त धाराओं का उल्लधंन नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण का नरमी का रूख अपनाते हुए साधारण जुर्माना शास्ति लगाते हुए पत्रावली दाखिल दफतर फरमाने की कृप्या करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्ता से लिया गया Sample of "Mustard Oil " bearing Code No and Sr. No. K-1377, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addiative) Regulations, 2011. The Sample is also Misbranded food under section No.3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000 00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में चन्दन कुमार पुत्र श्री निर्मलदास बंसल खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर